भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2094

बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

कारोबार में सुगमता सूचकांक

2094. श्री मारगनी भरतः
श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:
श्री एन. रेड्डप्पः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विश्व बैंक के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 'कारोबार में सुगमता' के मामले में भारत 62वें स्थान पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कारोबार में सुगमता सूचकांक का राज्य-वार अनुमान लगाया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2019 की रैंकिंग में सुधार हुआ है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): विश्व बैंक द्वारा बंद किए जाने से पहले, अक्टूबर, **2019** में अंतिम बार प्रकाशित विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), **2020** में भारत का 63वां स्थान था। डीबीआर में भारत की रैंक में सुधार हुआ है जो वर्ष 2014 में 142वें से वर्ष 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गई। पांच वर्ष के दौरान इसमें 79 रैंक की बढ़ोतरी हुई है।

(ख) और (ग): निरंतर मूल्यांकन फ्रमवर्क तैयार करने के लिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में व्यावसायिक माहौल के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) नामक गतिशील सुधार कार्य शुरू किया है।

बीआरएपी के तहत, कार्य योजना में निहित निर्धारित सुधार मानदंडों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। बीआरएपी विभिन्न सुधार क्षेत्रों के व्यवसाय केंद्रित और नागरिक केंद्रित, दोनों प्रकार के सुधारों को कवर करता है। कुछ सुधार क्षेत्र इस प्रकार हैं: निवेश इनेबलर्स, सूचना तक पहुंच और पारदर्शिता, ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, भूमि आबंटन, निर्माण परमिट इनबलर्स, श्रम विनियम इनेबलर्स, पर्यावरण पंजीकरण इनेबलर्स, निरीक्षण इनेबलर्स, उपयोगिता परमिट प्राप्त करना, संविदा लागू करना, नागरिक केंद्रित प्रमाणपत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य देखभाल आदि।

आज की तारीख तक, बीआरएपी के पांच संस्करण (2015, 2016, 2017-2018, 2019 और 2020) पूरे हो चुके हैं तथा तद्नुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। बीआरएपी, 2022 (अर्थात् छठां संस्करण) के तहत मूल्यांकन अपने अंतिम चरण में है।

(घ) और (□): वर्ष 2019 में विश्व बैंक की रिपोर्ट के बंद होने के बाद भी सुधार संबंधी पहलें जारी हैं। डीपीआईआईटी नागरिकों और व्यवसायों के अनुपालन बोझ को कम करने संबंधी पहलों के लिए मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करता है। इस कार्य का उद्देश्य मंत्रालयों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गवर्नमेंट टू बिजनेस और सिटिजन इंटरफेस के सरलीकरण, युक्तिकरण, डिजिटलीकरण और गैर-अपराधीकरण के जरिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार करना है। इस पहल के प्रमुख फोकस क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

(i) आवेदन, नवीकरण, निरीक्षण, रिकॉर्ड फाइल करने आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण,
(i) अनावश्यक कानूनों की पुन:अपील, संशोधन अथवा उन्हें हटाकर कानूनी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना,
(iii) ऑनलाइन इंटरफेस बनाकर सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना, और
(iv) गौण, तकनीकी और प्रक्रियागत चूकों का गैर-अपराधीकरण।

अनुपालन बोझ को कम करने के लिए मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाने के लिए विनियामक अनुपालन (आरसी) पोर्टल बनाया गया है। आरसी पोर्टल पर सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 40,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है तथा 3500 से अधिक प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण किया गया है। इन सभी पहलों ने उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान दिया है तथा ये देश के व्यावसायिक माहौल में सुधार की दिशा में काफी आगे ले जाएंगे।

*****